

<p>वाणिज्य इकाई</p>		<p>उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० 14वा तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ-226001 Tel-0522-2288056 Fax- 0522-2287030 CIN :U40101UP1980SGC005065</p>
---------------------	---	---

पत्रांक /उ० नि० लि०/ मु०अ० (वाणिज्य)/एलएमवी-10 दिनांक ०९ फरवरी, 2015

मुख्य अभियंता (स्तर-1/11),  
अनपरा/ओबरा/पनकी/पारीछा/हरदुआगंज  
तापीय विद्युत परियोजना,  
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
सोनभद/कानपुर/झाँसी/अलीगढ

विषय:- टैरिफ आदेश दिनांक 01.10.2014 में एअर कण्डीशनर चार्ज के संशोधन/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक उ०प्र०पा०का०लि० के संलग्न पत्रांक 13/एच०सी०/टैरिफ/2014, दिनांक 27.1.2015, जो प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० के डायरी संख्या 3068/एमडी/आरयूएनएल दिनांक 30.01.2015 एवं निदेशक (तकनीकी) द्वारा इस इकाई को पृष्ठांकित है, का संज्ञान लेने का कष्ट करें ।

इस सम्बन्ध में उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 01.10.2014 के एलएमवी-10 श्रेणी के अनमीटर्ड उपभेक्ताओं के एअरकण्डीशनर चार्ज के सम्बन्ध में सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोगके पत्रांक UPERC/ Secy./ D(Tariff)/15-1803, दिनांक 19.01.2015 की छायाप्रति अनुपालनार्थ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक - यथोपरोक्त ।

(श्याम नारायण)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

पत्रांक 87 /उ० नि० लि०/ मु०अ० (वाणिज्य)/एलएमवी-10/तददिनांक ०९ फरवरी, 2015


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 7वां तल, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 2- निदेशक (वित्त/तकनीकी/कार्मिक), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 8वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

क्रमशः...2-

  
EE (Commercial)

- 3- मुख्य अभियंता (स्तर-1/11), पीपीएमएम/तापीय परिचालन/मांस/ईंधन/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- 4- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 8वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- 5- परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश को निगम की बेवसाइड पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
- 6- मुख्य प्रबन्धक (कैश मैनेजमेन्ट यूनिट), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 7वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

  
(श्याम नारायण)  
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"  
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,  
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।  
दूरभाष : 0522-2287842, फ़ैक्स : 0522-2287834  
ई-मेल : [cecomuppcl@gmail.com](mailto:cecomuppcl@gmail.com)  
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक:- /एच०सी०/टैरिफ/2014

दिनांक/जनवरी, 2015

विषय:- टैरिफ आदेश दिनांक 01.10.2014 के संशोधन/स्पष्टीकरण सं०-2 के सम्बन्ध में

प्रबन्ध निदेशक,  
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल  
विद्युत वितरण निगम लि०  
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक,  
केस्को  
कानपुर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, उ०प्र० नियामक आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 01.10.2014 के एलएमवी-10 श्रेणी के अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के एअरकन्डीशनर चार्ज के सम्बन्ध में सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के पत्रांक UPERC/Secy/D(Tariff)/15-1803 दिनांक 19.10.2014 की छायाप्रति अनुपालनार्थ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(ए०के० पाठक)

मुख्य अभियन्ता (वा० एवं ऊ०ले०)

पत्रांक:- 13 /एच०सी०/टैरिफ/2014/तददिनांक 27-1-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग, किसान मण्डी भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, रेसपो/आर-एपीडीआरपी/नियोजन/नियंत्रण एवं अनुश्रवण इकाई/पारेषण/जानपद/ऊर्जा प्रणाली/पीपीए, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वेबसाइट ([www.uppcl.org](http://www.uppcl.org)) पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक : यथोपरि।

(ए०के० पाठक)

मुख्य अभियन्ता (वा० एवं ऊ०ले०)



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

## U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

Regulatory Affairs Unit  
15<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extension,  
14-Ashok Marg, Lucknow 226001.  
Phone: (0522) 2286519  
Email: [arrtariffuppcl@gmail.com](mailto:arrtariffuppcl@gmail.com)  
Fax : (0522) 2287860

रेगुलेटरी अफेयर्स इकाई  
15वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,  
14-अशोक मार्ग, लखनऊ 226001  
दूरभाष : (0522) 2286519  
Email: [arrtariffuppcl@gmail.com](mailto:arrtariffuppcl@gmail.com)  
फैक्स : (0522) 2287860

पत्र संख्या : 152 / आर०ए०यू० / टै०आ० 2014-15

दिनांक : 21 जनवरी, 2015

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा)  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,  
चतुर्थ तल शक्ति भवन विस्तार,  
लखनऊ।

विषय:-टैरिफ आदेश 2014-15 का संशोधन सं० 2 के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के पत्र सं० UPERC/Secy/D(Tariff)15-1803 दिनांक 19.01.2015 की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से समस्त वितरण निगमों एवं संबंधित कार्यालयों को सूचित करने एवं वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

शुद्धी संख्या 32 एच०सी०  
दिनांक 22/1/15  
डाटा नं०

संलग्नक: यथोपरि।

  
(मु० गुफरान)

सलाहकार एवं मुख्य अभियन्ता (आर०ए०यू०)

SE (C-I)



21/1/15

सं० 270  
दिनांक 22/1/15

SE (C-I)  
समस्त वितरण, शाखा नगर  
एवम् उपग्रामों को समस्त वितरण  
आर०ए०यू० के वेबसाइट पर अपलोड  
करवाने का कष्ट करने का अनुरोध है।

सं० 270  
दिनांक 22/1/15



# Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission

Kisan Mandi Bhawan, II Floor, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone 2720426 Fax 2720423 E-mail [secretary@uperc.org](mailto:secretary@uperc.org)

Arun Kumar Srivastava  
Secretary

Ref: UPERC/Secy/D(Tariff)/15-1803  
Dated: 19<sup>th</sup> January, 2015

To,

1. Chairman, U.P. Power Corporation Ltd., Shakti Bhawan, 14, Ashok Marg, Lucknow - 226001.
2. MD, U.P. Power Corporation Ltd., Shakti Bhawan, 14, Ashok Marg, Lucknow - 226001.
3. MD, MVVNL, 4-A, Gokhale Marg, Lucknow - 226001.
4. MD, DVVNL, Urja Bhawan, 220KV Sub-Station, Mathura Bypass Road, Agra - 282007.
5. MD, PVVNL, Victoria Park, Meerut - 250001.
6. MD, PuVVNL, Bhikharipur, 132KV Sub-Station, Poorvanchal Vidyut Bhawan, P.O. Diesel Locomotive Works, Varanasi - 221004.
7. MD, KESCo, KESA House, 14/71, Civil Lines, Kanpur - 208001.
8. MD & CEO, Noida Power Company Ltd. Commercial Complex, H-Block, Alpha-II Sector, Greater Noida City.
9. CE, RAU, Regulatory Affairs Unit, U.P. Power Corporation Ltd., 15<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extension, 14, Ashok Marg, Lucknow – 226001.

**Subject: Corrigendum / Clarification No. 2 to Tariff Orders for FY 2014-15 of all the Distribution Licensees of the State of Uttar Pradesh.**

Sir,

With reference to Letter No. 3026 / RAU / Tariff Order / 2014-15 dated December 15, 2014, UPPCL has submitted that the Commission in its Tariff Orders dated October 1, 2014 has specified that the additional charge for unmetered consumers of LMV-10 using air conditioners shall be Rs. 550 per month per air conditioner. However the months for which such charge shall be applicable has not been mentioned. UPPCL submitted that in the previous Tariff Orders such charge was applicable only for summer months i.e. April to September. In view of the same, UPPCL requested the Commission to specify the months as April to September for which additional charges for air conditioner shall be applicable.

*Day*



# Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission

Kisan Mandi Bhawan, II Floor, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone 2720426 Fax 2720423 E-mail [secretary@uperc.org](mailto:secretary@uperc.org)

Category	Fixed charge / month	Fixed Monthly Energy Charge
Junior Engineers & equivalent posts	Rs. 230.00	Rs. 370.00
Assistant Engineers & equivalent posts	Rs. 260.00	Rs. 520.00
Executive Engineers & equivalent posts	Rs. 280.00	Rs. 550.00
Superintending Engineers / Deputy General Managers & equivalent posts	Rs. 510.00	Rs. 650.00
Chief Engineers (I & II) / General Managers and above	Rs. 550.00	Rs. 750.00
Additional charge for employees using Air Conditioners (April to September).	Rs. 550.00 per month per Air conditioner	

All distribution licensees and UPPCL are directed to upload all the corrigendums / clarifications being issued on their respective websites for the easy access of all the stakeholders and the public at large.

Further, the licensees are also required to submit the progress of 100% metering of LMV-10 consumers which has to be completed by 31<sup>st</sup> March, 2015 as per the Commission's Tariff Orders for FY 2014-15.

The above is issued with the approval of the Commission.

Yours sincerely,

Arun Kumar Srivastava  
Secretary